उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)
5 पंचशील पार्क, चकराता रोड़, देहरादून टेलीफैक्स : 0135-2761077 ई-मेल: ceoukcampa@gmail.com, ceocampa-forest-uk@nic.in
www.www.ukcampa.org.in

पत्रांक-545/3-2/16-17 दिनांक, 28 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
2. निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर
3. प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाईगर वन प्रभाग, लैंसडॉन
4. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती
6. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून
7. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी
8. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

विषय – धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ– मुख्य वन संरक्षक, ईकोटूरिज्म, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-430/9-1 दिनांक 02 दिसम्बर, 2016

महोदय,

उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2016-17 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष **वन विश्राम भवनों की मरम्मत/जीर्णोद्धार** हेतु सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त सूची के अनुसार, विभिन्न वन प्रभागों को निम्नानुसार धनराशि की आहरण सीमा निर्धारित की जा रही है :-

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	धनराशि (लाख में)
1	अल्मोड़ा वन प्रभाग	15.00
2	कार्बेट टाईगर रिजर्व	30.00
3	कालागढ़ टाईगर रिजर्व	6.50
4	रामनगर वन प्रभाग	17.50
5	मसूरी वन प्रभाग	12.00
6	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	8.00
7	देहरादून वन प्रभाग	3.00
8	भू0सं0 कालसी वन प्रभाग	3.00
9	बद्रीनाथ वन प्रभाग	5.00
	कुल योग	**100.00**

उक्त धनराशि की आहरण सीमा निम्न शर्तो के साथ निर्गत की जा रही है:-

1. अवमुक्त धनराशि का उपयोग नियमानुसार उपरोक्त स्वीकृत कैम्पा मदों में ही किया जाय। स्वीकृत मदों से भिन्न मदों में धनराशि का व्यय न की जाय।
2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाए।
3. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
4. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
5. **कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।**
6. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
7. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
8. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

9. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम) आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनयूल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

11. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

12. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

13. उपरोक्त कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।

14. कार्यो का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।

15. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

16. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।

17. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

18. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यो की मात्रा को छोटे–छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।

भवदीय,

(समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांकः– 545/3–2/2016–17 दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य वन संरक्षक, ईकोटूरिज्म, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल, मुख्य वन संरक्षक कुमांऊ एवं मुख्य वन संरक्षक शिवालिक।
6. वन संरक्षक उत्तरी कुमांऊ वृत्त, वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, वन संरक्षक यमुना वृत्त एवं वन संरक्षक शिवालिक वृत्त।

(समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा